

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल 2016—चैत्र 16 शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ ए 1-16/2014/एक(1)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 2 में, अनुक्रमांक "चौसठ" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात -

"पैंसठ- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम "

2. अनुसूची में, -

(क) शीर्षक "ग्यारह- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग" के अधीन,

(एक) भाग (अ) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएं, अर्थात,-

"9. भण्डार और सेवाएं.

11. डाकघर बचत बैंक.

12. डाक तथा तार, बेतार तथा दूरभाष, जिसमें सरकारी दूरभाष (टेलीफोन) सम्मिलित नहीं है.
 13. सीमा शुल्क, जिसमें निर्यात शुल्क सम्मिलित नहीं हैं.
 14. विनिमय पत्र, चैक, वचन पत्र, और ऐसी ही अन्य लिखितें.
 21. हड्डी, हड्डी के चूरे, खाद मिश्रण और हड्डी तथा हड्डी के चूरे से बने हुए सुपर फास्फेट पर नियंत्रण.
 22. फर्नेस आइल,
- 22-आ. विद्युत चलित करधे."
- (दो) भाग (अ) में, अनुक्रमांक 22-औ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्,—
- 22-औ क. प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन.
- 22-औ ख. औद्योगिक परियोजना एवं उनसे संबद्ध अधोसंरचना सहित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं प्रबंधन.
- 22-औ ग. उद्योगों को राज्य सहायता (सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को छोड़कर).
- 22-औ घ. राज्य के उद्योग एवं औद्योगिक उपक्रम.
- 22-औ ङ नीति क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली— इन दोनों से संबंधित सामान्य मार्गदर्शन के व्यवस्थापन से संबद्ध विषय.
- 22-औ च. प्रबंध पद्धतियों, प्रबंध प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग पद्धतियों का समन्वयन.
- (तीन) भाग (आ) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएं, अर्थात्,—
- "5. मध्यप्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1959.
11. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996.
12. नियोजनालय(रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959."
- (चार) भाग (आ) में, अनुक्रमांक 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्,—
- "13. मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008.
14. मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास तथा प्रबंधन अधिनियम, 2013.
15. इंदौर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2003."
- (पांच) भाग (इ) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएं, अर्थात्—
1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
- (छः) भाग (उ) ऊमें, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएं, अर्थात्—
- "6. मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल.
7. मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, भोपाल.
9. मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम, भोपाल."

(सात) भाग (उ) अनुक्रमांक 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्,—

“12. मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंसेस्टमेंट फसिलिटेशन कार्पोरेशन.

13. मध्यप्रदेश के औद्योगिक केन्द्र विकास निगम.”

(आठ) भाग (ऊ) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएं, अर्थात्—

“3. मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा.

4. मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (तृतीय वर्ग कार्यपालिक) सेवा.

11. मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (राजपत्रित) सेवा.

12. मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (अराजपत्रित) सेवा.”

(नौ) भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्—

“4. शुल्क सीमांतों को पार करने वाले आयात और निर्यात, अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र.

6. साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्य संस्थाएं और संघ.”

(ख) विद्यमान शीर्षक चौसठ और उससे संबंधित भागों और प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक, भाग और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्—

“ पैसठ— सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग”

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :—

1. अनिर्गमित व्यापार
2. भण्डार और सेवाएँ.
3. हड्डी, हड्डी के चूरे, खाद मिश्रण और हड्डी तथा हड्डी के चूरे से बने हुए सुपर फास्फेट पर नियंत्रण.
4. फर्नेस आइल,
5. विद्युत चलित करघे.
6. व्यापार मेले.
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को राज्य सहायता.
8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं प्रबंधन.
9. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की बड़ी योजनाओं का संवर्धन.
10. स्वरोजगार योजनाएं.
11. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.
12. ऐसी सेवाएं से संबद्ध समस्त विषय जिनका से संबंध है (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर), उदाहरणार्थ — नियुक्तियां, पदस्थानाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.”

- (आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :-
 "1. मध्यप्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1959.
 2. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996.
 3. भण्डार कय नियम."
- (इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :-
 1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
- (ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम:-
 कुछ नहीं.
- (उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली संस्थाएं तथा निकाय :-
 1. मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल.
 2. मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, भोपाल.
 3. मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम, भोपाल.
- (ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय यदि कोई हो :-
 1. मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा.
 2. मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (तृतीय वर्ग कार्यपालिक) सेवा."
- (ग) शीर्षक "बयालीस- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग" के अधीन,
 (एक) भाग (अ) में, अनुक्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्,-
 "7-क. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण.
 7-ख. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन तथा फीस का निर्धारण.
- (दो) भाग (आ) में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्,-
 "4 नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959."
 5 मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम 2007."
- (तीन) भाग (उ) में, अनुक्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्,-
 "3. मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्."
- (चार) भाग (ऊ) में, अनुक्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्,-
 "8 मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (राजपत्रित).
 9 मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (अराजपत्रित).
 10 मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में (संविदा आधार पर) सेवा."

- (घ) शीर्षक "चार- वित्त विभाग" के अधीन, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 35-ख के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्,—
 "35-ग. डाकघर बचत बैंक.
 35-घ. विनिमय पत्र, चैक, वचन-पत्र और ऐसी ही अन्य लिखितें।"
- (ङ) शीर्षक "पांच- वाणिज्यिक कर विभाग" के अधीन, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 21-ख के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्,—
 "21-ग. सीमा शुल्क, जिसमें निर्यात शुल्क सम्मिलित है।"
- (च) शीर्षक "इकतालीस- विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग" के अधीन, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 11-अ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्,—
 "11-ब. डाक तथा तार, बेतार तथा दूरभाष, जिसमें सरकारी दूरभाष (टेलीफोन) सम्मिलित नहीं है।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 के. के. कातिया, अपर सचिव.